

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती नारायणीबाई

विपक्षी : श्री सुन्दरलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 32/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 06.04.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार होकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका है। चूंकि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र में उभय पक्ष को मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी होने तक पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिससे उक्त प्रकरण में बंटवाडा होने तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनी रहे, ताकि बंटवाडे के दौरान किसी प्रकार की पैचिदगीया उत्पन्न ना हो। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 का स्वीकार कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी की आराजी न. 1211, 1212, 1213, 1218 कित्ता 4 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्षकारान मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

